

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

[4/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 1733]

परिशिष्ट "अ"


विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1733

श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) माननीय सदस्य विधान सभा


जिला अशोकनगर

शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र०	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही	अद्यतन स्थिति
1	जगदीश कुशवाह (उचित मूल्य की दुकान हिरावल बडेरा, निदानपुर)	तत्कालीन विधायक चंदेरी राव राजकुमारसिंह चंदेरी तहसील में खाद्यान्न एवं केरोसिन में अनियमितताओं की शिकायत वर्ष 2010 के संबंध में जांच (आयुक्त खाद्य का पत्र क्रमांक 3919 दिनांक 11.03.10)	चंदेरी तहसील में खाद्य एवं केरोसिन की कालाबाजारी के सम्बन्ध में।	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दिनांक 19-06-2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।	जगदीश कुशवाह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिटपिटीशन क्रमांक 4747/2010 दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया। वर्तमान में जगदीश कुशवाह द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है।
2	जगदीश कोरकू (उचित मूल्य की दुकान बीड सरकार)	प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं आयुक्त खाद्य के अशोकनगर प्रवास के दौरान जांच में पाई गई अनियमितताएँ माह नवम्बर 2014.	राशन वितरण में अनियमितता	प्रकरण निर्मित किया जाकर प्राथमिकी दर्ज किये जाने से पूर्व आरोपी द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया।	प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 7719/2014 में पारित आदेश के अनुरूप प्रभारी अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यथासमय कार्यवाही न करने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर, अशोकनगर को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा गया है। वर्तमान में जगदीश कोरकू द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है।
3	उचित मूल्य की दुकान सहराई (अचलगढ़)	प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं आयुक्त खाद्य के अशोकनगर प्रवास के दौरान जांच में पाई गई अनियमितताएँ माह नवम्बर 2014.	राशन वितरण में अनियमितता।	प्रकरण निर्मित किया जाकर प्राथमिकी दर्ज किये जाने से पूर्व आरोपी द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया।	प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 7718/2014 तथा क्रमांक 247/2015 में पारित आदेश के अनुरूप प्रभारी अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यथासमय कार्यवाही न करने से कारण


 अनुभाग अधिकारी,
 खाद्य, वाणिज्यिक आपूर्ति एवं
 उपभोग संरक्षण विभाग,
 नरसपुर

क्र०	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही	अद्यतन स्थिति
					बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर, अशोकनगर को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
4	उचित मूल्य की दुकान गुन्हेरू	प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं आयुक्त खाद्य के अशोकनगर प्रवास के दौरान जांच में पाई गई अनियमितताएँ माह नवम्बर 2014.	राशन वितरण में अनियमितता।	प्रकरण निर्मित किया जाकर प्राथमिकी दर्ज किये जाने से पूर्व आरोपी द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया।	प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा आरोपी के पक्ष में रिट पिटीशन क्रमांक 7697/2014 में पारित आदेश के अनुरूप प्रभारी अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यथासमय कार्यवाही न करने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर, अशोकनगर को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
5	केरोसिन सेमी होल सेलर डीलर लीड मुंगावली	प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं आयुक्त खाद्य के अशोकनगर प्रवास के दौरान जांच में पाई गई अनियमितताएँ माह नवम्बर 2014.	राशन वितरण में अनियमितता।	प्रकरण निर्मित किया जाकर प्राथमिकी दर्ज किये जाने से पूर्व आरोपी द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिया गया।	प्रकरण में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 7720/2014 में पारित आदेश के अनुरूप प्रभारी अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यथासमय कार्यवाही न करने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर, अशोकनगर को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
6	उचित मूल्य दुकान केनवारा	प्रमुख सचिव (खाद्य) एवं आयुक्त खाद्य के अशोकनगर प्रवास के दौरान जांच में पाई गई अनियमितताएँ माह नवम्बर 2014.	राशन वितरण में अनियमितता।	प्रकरण दर्ज किया गया तथा प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।	प्रबंधक द्वारा प्राथमिकी के विरुद्ध रिट पिटीशन क्रमांक 7797/2014 में पारित आदेश के अनुरूप प्रभारी अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा यथासमय कार्यवाही न करने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर, अशोकनगर को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा गया है।


 अशोकनगर आधिकारी,
 खाद्य, राशन एवं आपूर्ति एवं
 वितरण संरक्षण विभाग,
 अशोकनगर